न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 01 / 2020

<u>उनवान</u>

(1) करणसिंह पिता परबतसिंह जाति राजपुत निवासी मोटावाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) श्रीमती केसर कुंवर पनि श्री परबतसिंह जाति राजपुत निवासी मोटावाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थी

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136— भू—राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः06.4.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता नम्बर 23 नया 24 पुराना में स्थित है। उक्त भुमि नाहरसिंह पिता कल्याणसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड होकर नाहरसिंह की मृत्यु उपरान्त पुत्र परबतसिंह का नाम दर्ज होना था परन्तु परबतसिंह की पुर्व मे मृत्यु हो जाने से राजस्व रिकार्ड मे परबतसिंह का नाम दर्ज नही कर परबतसिंह के पुत्र करणसिंह का तथा परबसिंह की बेवा केसर कुंवर का नाम नाहरसिंह के वारीस बताकर दर्ज कर दिया। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजो में नाम करणसिंह पिता परबतसिंह व श्रीमती केसर कुवर देवा परबतसिंह चल रहा है। जिस वजह से प्रार्थीगण को सभी राजकीय कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकार्ड मे हुई उक्त त्रुटी को दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने कई राजस्व शिविरों मे उक्त त्रुटी दुरस्त करने निवेदन किया परन्तु नही किये जाने से धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, गढी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि ग्राम मोटावाड़ा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 व जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 में कुल किता 31 रकबा 4.62 हे0 भूमि खातेदार श्री करणसिंह मुतबन्ना नाहरकसंह किशोरसिंह राजपुत सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। श्री नाहरसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी मोटावाड़ा की कोई सन्तान नही होने के कारण उनके साढू के पुत्र करणसिंह पिता परबतसिंह जाति राजपुत को गोद पुत्र स्वीकार कर गोदनामा दिनांक 26.11.1983 को उप पंजीयक गढी में पंजीयन करवाया गया है। खातेदार श्री नाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण द्वारा करणसिंह मुतबन्ना नाहरसिंह नाबालिग होने से माता किशोर कुंवर को सरपरस्त बनाया गया है। राजस्व रिकार्ड संधारण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटी नही पायी जाना अवगत कराया।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र को खरिज कराने का कथन किया गया है परन्तु बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, खाता संख्या 23 (नया) 24 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072, निर्वाचन पहचान—पत्र, आधार कार्ड आदि की छाया प्रतिया एंव तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा जवाब के संलग्न दस्तावेज गोदनामा का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष [illegible] है कि पटवार हल्का लोहारिया के मौजा मोटावाड़ा की खाता संख्या 23 (नई) 24 (पुरानी) [illegible] 31 रकबा 4.62 हे0 भूमि में अंकित नाम के स्थान पर करणसिंह पिता [illegible] स्व0 श्री परबतसिंह बाकि बदस्तुत दर्ज करने का आदेश दिया [illegible] है।

निर्णय आज दिनांक 06.4.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:15 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS

उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

Scanned by CamScanner